ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in January 2025

महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका एवं चुनौतियाँः पंचायत समिति हनुमानगढ़

सुनीता गोदारा, शोधार्थी, राजनीतिविज्ञान, टांटीया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान
डॉ. विशाल छाबड़ा,(प्रोफेसर), राजनीतिविज्ञान, टांटीया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान

सार

भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात अनेक राज्यों, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण लागू किया। इस व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान किया तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पंचायत समिति हनुमानगढ़ में निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका, उनके द्वारा निभाए जा रहे दायित्वों, निर्णय–निर्माण में उनकी भागीदारी तथा कार्य निष्पादन के दौरान आने वाली सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का अनुभवजन्य विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता किन कारकों से प्रभावित होती है तथा स्थानीय विकास में उनका वास्तविक योगदान कितना है।

परिचय

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ लोकतंत्र की सफलता स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता पर निर्भर करती है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा का मूल उद्देश्य शासन को जनता के निकट लाना तथा विकास योजनाओं में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाएँ इसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से संभव होता है।

1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन थी, जिसने ग्रामीण महिलाओं को पहली बार व्यापक स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का अवसर प्रदान किया।

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में रहा है। यहाँ महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान क्षेत्र होने के साथ–साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ महिला प्रतिनिधियों की भूमिका ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होती जा रही है।

साहित्य समीक्षा

1. नीरजा गोपाल जायल (2018) ने स्थानीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करते हुए बताया कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक वृद्धि नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समावेशन का महत्वपूर्ण माध्यम है।

2. बीना अग्रवाल (2019) के अनुसार महिला नेतृत्व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामुदायिक विकास में पुरुष नेतृत्व की तुलना में अधिक संवेदनशील एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाता है।
3. यूनिसेफ इंडिया (2019) की रिपोर्ट में बताया गया कि महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण से पंचायतों की कार्यकुशलता तथा जनसंतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
4. राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान (छप्त्क्च्, 2020) ने अपने अध्ययन में पाया कि महिला प्रतिनिधियों की प्रशासनिक दक्षता प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता तथा सरकारी सहयोग पर निर्भर करती है।
5. सिंह एवं शर्मा (2020) ने राजस्थान की पंचायतों पर अध्ययन करते हुए पाया कि महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता सामाजिक समर्थन तथा पारिवारिक सहयोग से प्रभावित होती है।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive) एवं अनुभवजन्य (Empirical) अनुसंधान पद्धति पर आधारित होगा।
अध्ययन क्षेत्र के रूप में पंचायत समिति हनुमानगढ़ का चयन किया जाएगा।
प्राथमिक आँकड़ों का संकलन संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा किया जाएगा।
द्वितीयक आँकड़ों के लिए पुस्तकें, शोधपत्र, सरकारी रिपोर्ट, पंचायती राज विभाग के अभिलेख, जनगणना रिपोर्ट तथा विभिन्न आधिकारिक प्रकाशनों का उपयोग किया जाएगा।
प्रतिदर्श (Sample) का चयन उद्देश्यपूर्ण एवं यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के संयोजन द्वारा किया जाएगा।
संग्रहित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, सारणीकरण, तुलनात्मक विश्लेषण तथा व्याख्यात्मक पद्धति द्वारा किया जाएगा।

शोध अंतराल

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर अनेक अध्ययन किए गए हैं, किन्तु अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर तक सीमित हैं। हनुमानगढ़ पंचायत समिति के संदर्भ में महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भूमिका, नेतृत्व क्षमता, निर्णय–निर्माण, प्रशासनिक दक्षता तथा स्थानीय चुनौतियों का विस्तृत अनुभवजन्य अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है।
अधिकांश शोध महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित रहे हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर सामाजिक स्वीकृति, प्रशासनिक सहयोग, डिजिटल साक्षरता, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा नेतृत्व विकास जैसे पहलुओं का समग्र विश्लेषण अभी भी अपेक्षित है। यही शोध अंतराल प्रस्तुत अध्ययन को प्रासंगिक एवं नवीन बनाता है।

अध्ययन का महत्व

अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलेगी कि महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता किन सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारकों से प्रभावित होती है। इससे नीति–निर्माताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण, डिजिटल सशक्तिकरण तथा प्रशासनिक सहयोग से संबंधित प्रभावी नीतियाँ तैयार करने में सहायता मिलेगी।
हनुमानगढ़ जैसे कृषि प्रधान जिले में महिला नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन स्थानीय विकास, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के नए आयाम प्रस्तुत करेगा। यह शोध भविष्य के शोधार्थियों, सामाजिक वैज्ञानिकों, पंचायती राज संस्थाओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

महिला पंचायत प्रतिनिधियों की बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंचायत समिति हनुमानगढ़ में महिलाएँ स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि उन्हें सामाजिक रूढ़ियों, प्रशासनिक जटिलताओं, आर्थिक सीमाओं तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनका योगदान ग्रामीण विकास में निरंतर बढ़ रहा है।

महिला प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि, नियमित प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन कौशल तथा प्रशासनिक सहयोग को सुदृढ़ बनाकर उनके नेतृत्व को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्रदान करेगा।

ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, बीना (2019). लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा एवं सतत विकास लक्ष्य। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. जायल, नीरजा गोपाल (2018). भारतीय लोकतंत्र में नागरिकता एवं स्थानीय शासन। नई दिल्लीरू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (हिंदी संस्करण)।
3. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय (2022). वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22। नई दिल्लीरू पंचायती राज मंत्रालय।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (2020). पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व। हैदराबाद: एन.आई.आर.डी.पी.आर. प्रकाशन।
5. यूनिसेफ इंडिया (2019). स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी। नई दिल्ली: यूनिसेफ भारत।
6. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (यूएन वूमेन) (2021). स्थानीय शासन में महिलाओं का नेतृत्व। नई दिल्ली: यूएन वूमेन इंडिया।
7. सिंह, राजेश एवं शर्मा, पूजा (2020). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी। भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, खंड 66(3), पृ. 315–332।
8. कुमार, अमित एवं चौधरी, सुनीता (2021). ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास जर्नल, खंड 40(2), पृ. 145–162।
9. शर्मा, मनोज एवं वर्मा, सीमा (2022). महिला पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका, खंड 63(1), पृ. 89–106।
10. मीना, राकेश एवं यादव, कृष्णा (2023). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका, खंड 11(4), पृ. 55–72।